

2013/00193

रजिस्ट्रार
राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय

भाण्डलगढ़

तारीख पेशी

13-5

~~25/6~~

16-7

15-10

11-2-2015

15/1/15

5/10/15

26-10

20-1-2016

4-4-2016

27/6/14

5/8/14 न/न

7/11/14

23/1/17

11/6

29/9/16

28/3/17

8/5/17

जवाब

17/8/17

जवाब

25/10/17

6/2/18

1/2/18

किसम मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दफ्तार	नाम मौजा	तारीख फैसल	नम्बर फैसल
212 RTA	112/2013	04/12/13	नवलपुर	19/6/18	
				20/1/15	

अजवाब

दाखी 6/12 नाथुभील
सि. नवलपुर

दगाम

श्री राजस्थान सरकार (जिल्हाधीश)
मधीपथ

निगराकार/प्राथमिक/पि.

212 RTA

अग्रार्थी/सेतो.

कार्यवाही अन्तर्गत दगाम 212 RTA

ए श्री

ज.ल

ए श्री

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>५०/१०/१२/१३ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज कारव) प/स सखान</p>	<p>नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी</p>
<p>19/6/18</p>	<p>पमावली न्याय आयेके द्वार केय मल्गणपुरा पर पेश हुरी तहसीलदार मावलगाठ ने जवाब पेश किया। तहसीलदार ने जवाब के प्रां फत में उचित लक्ष्यो को अन्वीकार करते हुए बताया कि प्रार्थना पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 12/12/1996 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप प्रार्थना पत्र सार्वजनिक क्षेत्र के निरस्त हो गये है TDR ने अपनी रिपोर्ट के साथ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की। अतः प्रार्थना पत्र का अवलोकन विचारण जिलसे जादिर हुआ कि प्रार्थना पत्र के प्रार्थी द्वारा खसरा गिरदावरी इत्यादि पेश नहीं किये जिससे प्रार्थी द्वारा प्रां फत के खसरा सं. 6 में बलाये लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सके है साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 12-12-1996 T.N. Mudavaramman Thirunmullaipad P/S Union of cholia में दिये गये निर्देशानुसार भी प्रार्थना-पत्र खारिज हो गये है अतः प्रार्थना पत्र अंगूठि द्वारा 212 RPA के तहत खारिज किया जाता है प्रार्थना पत्र भूलबाद के साथ संलग्न है। पमावली फोनल नम्बर दोनर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">उपखंड अधिकारी मावलगाठ</p>	